□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3

21 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□□□ □' □□1□□1 □□□□□□

3. श्री □□□□□□ प्र□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर मानसून मौसम के दौरान केरल म चिकनगुनिया और एच1एन1 जैसी महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ मामलों म प्रवासी पक्षियों द्वारा आसानी से अंतरित होने वाले जानलेवा जीवाणु से संभावित खतरे को निगरानी के लिए कोई उपाय किए ह;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार विशेषकर मानसून मौसम के दौरान अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन के कारण अनेक बड़े स्वास्थ्य संकटों के आलोक म केरल जैसे राज्यों म दक्ष अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करेगी?

□त□

स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार राज्यों को अपनी स्वास्थ्य परिचया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्ह आवश्यक सहायता और मागदशन प्रदान करती है। केरल सहित देश म चिकनगुनिया और एच1एन1 को रोकथाम के लिए वष 2019 के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय, विशेषकर मानसून के मौसम म, अनुलग्नक-I म दिए गए ह।

(ग) और (घ): भारत ने कद्रीय एशियन फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों और उनके हैबीटेटों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय काय योजना(एनएपी) (2018-2023) प्रारंभ को है। इस काय योजना म क्षमता विकास के तहत किए जाने वाले क्रियाकलापों के अंतगत जंगली पक्षियों म रोग निगरानी (सर्विलांस) के लिए क्षमता निमाण और प्रोटोकॉल तैयार करना प्रमुख क्रियाकलाप है। एनएपी के क्रियान्वयन के लिए छह क्षेत्रीय समितियां भी बनाई गई ह। कद्र द्वारा प्रायोजित स्कोम के तहत, संबंधित राज्य सरकारों को एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) रोग सर्विलांस के लिए व्यक्तिगत संरक्षक उपस्कर (पीपीई) के प्रापण के लिए निधियां प्रदान को जाती ह।

(ङ): पयावरण, वन और जलवायु परिवतन मंत्रालय ने म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हर्डलिग) नियम, 2000 के अधिक्रमण म ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है। विस्तृत नोट अनुलग्नक-II म दिया गया है।

****

□□□ग□□-I

□□□□□□□□ □□ □□1□□1 जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तृ□ □□□□□

I. □□□□□□□□

भारत सरकार ने वष 2019 के दौरान चिकुनगुनिया के निवारण हेतु निम्नवत उपाय किए ह:

- कायान्वयन हेतु राज्यों के लिए निवारण एवं नियंत्रण, मामला प्रबंधन व प्रभावी समुदाय प्रतिभागिता हेतु तकनीको दिशा-निदश प्रदान किए।
- मामला प्रबंधन पर डाक्टरों के क्षमता निमाण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया।
- शीघ्र मामला पहचान और निवारण एवं नियंत्रण हेतु निगरानी और पयवेक्षण के लिए राज्यों को सलाह दी गई।
- अब तक, 7 सलाहकारी जारी को गई ह और 5 को समीक्षा को गई है।
- देश भर म 673 प्रहरी निगरानी अस्पतालों और 16 शीष संदभित प्रयोगशालाओं (एआरएल) के माध्यम से निशुल्क नैदानिक सुविधाएं प्रदान को गई। इनम से केरल राज्य म 33 एसएसएच और 01 एआरएल का चयन किया गया है।
- आज तक राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संरचना के माध्यम से 631 चिकुनगुनिया (1 किट=96 जांच) Igm आपूर्ति को गई है जिसम से केरल को 21 चिकुनगुनिया Igm को आपूर्ति को गई है।
- निवारण एवं नियंत्रण हेतु जन प्रचार प्रसार हेतु सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी/व्यवहाय परिवतन सम्प्रेषण(बीसीसी) गतिविधियां

II. □□1□□1:

- स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मौसमी इंफ्ल्यूएंजा ए/एच-1एन-1 वायरस के संचरण का निवारण और रोगियों के निदान मामला प्रबंधन और उपचार हेतु पयाप्त उपाय करना राज्य सरकारों से अपेक्षित है। इस संदभ म केन्द्र सरकार सक्रिय रूप से राज्य सरकारों को सहायता कर रही है और तकनीको दशा-निदश राज्यों के साथ साझां किए गए ह।
- आज तक (9.6.2019) वष 2019 म देश म मौसमी इफ्लूएंजा ए/एच-1एन-1 के 25958 प्रयोगशाला पुष्ट मामले रिपोट किए गए ह जिनम 1061 को मृत्यु हो गई। मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा म मामले और मौत हुई है, उसके पश्चात हिमाचल, उत्तर प्रदेश तेलगांना, केरल, कश्मीर (जम्मू और कश्मीर), कनाटक, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल म मामले रिपोट किए गए ह। 24 फरवरी, 2019 को समाप्त 8 व सप्ताह से अब तक देश म मामलों और मौतों को प्रवृति म गिरावट देखी गई है।

- उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक आयोजित को जा रही ह और तैयारियों तथा प्रतिक्रिया उपायों को समीक्षा को जा रही है। इन्ह म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2019-2018, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), अपर सचिव और (स्वास्थ्य) के स्तर पर आयोजित किया गया है। डीजीएचएस द्वारा (सावजनिक स्वास्थ्य) संयुक्त सचिव अंतिम बार को आयोजित संयुक्त निगरानी समूह को बैठक म स्थिति को समीक्षा 12.06.2019 को गई।

- वष 2019 म राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और उत्तराखंड म एक सावजनिक स्वास्थ्य टीम को तैनाती को गई थी तार्कि स्थिति का आकलन किया जा सके और मामलों म वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया को मजबूत करने म राज्यों को सहायता को जा सके।
- कद्रीय सचिव (स्वास्थ्य), संयुक्त सचिव (सावजनिक स्वास्थ्य), और निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कद्र (एनसीडीसी) द्वारा 2019 के दौरान मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) के लिए तैयारी के लिए सलाह समय-समय पर जारी को गई है।
- एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) और इसको राज्य इकाइयों ने इंफ़्लुएंज़ा जैसे बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) के लिए निगरानी म वृद्धि को गई है।
- 12 प्रयोगशालाओं के आईडीएसपी सहायता प्राप्त प्रयोगशाला नेटवक द्वारा परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, मागदशन, वायरल परिवहन माध्यमों और नैदानिक अभिकमकों को प्रदान करने के संदभ म प्रयोगशाला सहायता प्रदान को जा रही है। आईसीएमआर (41 लैब) के प्रयोगशाला नेटवक को भी एच1एन1 मामलों के परीक्षण के लिए सक्रिय किया गया है और इन प्रयोगशालाओं से परे, राज्यों म मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) के नैदानिक नमूनों के परीक्षण के लिए राज्यों द्वारा भी राज्य सरकार और निजी प्रयोगशालाओं को पहचान को गई ह। इसके अलावा, एनसीडीसी राज्यों को डायग्नोस्टिक किट और वायरल ट्रांसपोट मीडियम किट उपलब्ध करा रही है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा पहचान को गई प्रयोगशालाओं/अस्पतालों म इस्तेमाल किए जाने को जरूरत है।
- राज्यों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनसीडीसी को वेबसाइटों पर उपलब्ध मौसमी इंफ्लूएंजा ए पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदशों (जोखिम वर्गीकरण, क्लिनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य कमचारियों के लिए मास्क का उपयोग, इन्फ्लूएंजा टीकाकरण और घर पर देखभाल प्रदान करने के लिए दिशानिदश) का पालन करने के लिए कहा गया है।
- ओसेल्टामिविर डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित दवा है। यह दवा सावजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से मुफ्त म उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा अनुसूची एच1 के तहत भी ओसेल्टामिविर उपलब्ध कराई गई थी तार्कि जरूरत पड़ने पर दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सक। सभी राज्यों को राज्य बजट से मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) के प्रबंधन के लिए आवश्यक मात्रा को खरीद को पूरा करने को सलाह दी गई है। हालांकि, राज्यों म संकट के दौरान, भारत सरकार म रसद (ड्रग्स, पीपीई किट, एन-95 फेस मास्क) को आपूर्ति को जाती है। वतमान म 2019 म, भारत सरकार ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश को रसद को आपूर्ति को है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अन्य प्राथमिकता समूहों के लिए टीकाकरण को सिफारिश को है। इन्फ्लूएंजा टीकाकरण के दिशानिदंश सभी राज्यों के साथ साझा किए गए ह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से प्रदान किए गए वैक्सीन के विनिमाण (भारत सरकार को सिफारिश के अनुसार) का विवरण सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है।
- मई और जून 2018 के महीनों म आपातकालीन चिकित्सा राहत (ईएमआर) प्रभाग के समन्वय म वेंटिलेटर प्रबंधन और गंभीर रूप से बीमार इन्फ्लूएंजा रोगियों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण के 3 बैच आयोजित किए गए थे, जिसम 102 प्रतिभागियों के साथ 14 राज्य शामिल थे। सीजनल इन्फ्लुएंजा ए (एच1एन1) के दिशानिदशों पर राज्यों के निगरानी अधिकारियों और एसएसयू के डेटा महाप्रबंधक और राज्य महामारी विज्ञानी (आईडीएसपी) को प्रशिक्षण के अन्य 3 सेट प्रदान किए गए।
- आईईसी सामग्री अथात आम जनता के लिए मौसमी फ्लू पर इन्फोग्राफिक्स को 05.10.2018 को सभी राज्यों के साथ साझा किया गया। 2015 से ही ऑडियो स्पॉट सहित अन्य आईईसी सामग्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- एनसीडीसी स्थित स्ट्रैटेजिक हेल्थ ऑपरेशन सटर (एसएचओसी) के माध्यम से स्थिति को नियमित रूप से निगरानी को जा रही है, और स्थिति को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया जा रहा है।

यह नियमावली निर्धारित करती है कि कोई अपशिष्ट सृजनकता को उनके द्वारा सृजित ठोस अपशिष्ट को गली म, उनके कायक्षेत्र के बाहर खुले सावजनिक स्थानों पर अथवा नाली अथवा जल निकायों म फका, जलाया अथवा गाड़ा नहों जाएगा। इसके अलावा यह नियमावली अपशिष्ट सृजनकताओं को स्रोत स्तर पर ही अपशिष्ट को पृथक करने और इस पृथक किए गए अपशिष्ट को प्रधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा एकत्रित करने वालों को सुपुद करने के लिए निदेश देती है। स्थानीय प्राधिकरणों और ग्राम पंचायतों के कार्यों और उत्तरदायित्वों के अंतगत यह नियमावली स्ट्रीट-स्वीपस को गली म सफाई के दौरान एकत्रित पेड़ को पत्तियों को जलाए न जाने तथा अलग से भण्डारित करने और प्राधिकृत अपशिष्ट एकत्रणकताओं को सौंपने के निदेश देती है। यह नियमावली शहरी स्थानीय निकायों को बॉय-लॉज बनाने तथा इन्ह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (2016म प्रावधानोंम सम्मिलित करके इनका समय पर कायान्वयन सुनिश्चित करती है।

आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने राज्यों और स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों म सुधार करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों को आवधिक समीक्षा को आवश्यक बनाता है। यह नियमावली विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए भी इस नियमावली के प्रभावी कायान्वयन के लिए विशिष्ट कायविधियों और समय सीमाओं का पालन करना अनिवाय बनाता है। यह नियमावली कद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड (सीपीसीबी) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड के साथ समन्वय करने तथा देश म इस नियमावली के कायान्वयन को समीक्षा करना अनिवाय बनाती है।

नीति निमाण के अलावा कद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके राज्यों म ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उपयुक्त कायान्वयन करने से संबंधित अवसंरचना को स्थापना करनेम राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता भी करती है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पर्रियोजना को कायान्वित कर रहा है जिसके तहत विभिन्न पर्रियोजनाएं शुरू को गई ह। इस कायक्रम के तहत, मिशन अवधि 2014-15 से 2019-20के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्रियोजनाओं के लिए 7424.24 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है।

*****